

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

पत्रांक— बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-277107).....130

सेवा में,

महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

पटना, दिनांक— 05/10/2024

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा — आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु कुल 2,75,00,00,000/- (दो अरब पचहत्तर करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 1,78,75,00,000/- (एक अरब अठहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख) की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन हेतु राज्य के प्रारंभिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु कई प्रकार की योजनाओं को यथार्थता प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के प्रारंभिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन हेतु सरकारी विद्यालय में तीव्र गति से जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किया जाना है।

2. उपरोक्त स्थिति में विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु कुल 2,75,00,00,000/- (दो अरब पचहत्तर करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 1,78,75,00,000/- (एक अरब अठहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन हेतु **विभागीय पत्रांक 1950 दिनांक 29.09.2026** द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्न बजटीय शीर्ष के आधार पर किया जायेगा—

राशि(करोड़ में)							
क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	योजना के प्रकार	उपबधित राशि/स्वीकृत राशि	65% विमुक्त राशि	तृतीय बंधेज सीमा (35%) के तहत विमुक्त की जाने वाली राशि	कार्य की विवरणी
1	21-2202-01-053-0001	0001.27.02—अनुरक्षण एवं मरम्मत	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	225.00	146.25	78.75	प्रारंभिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत
2	21-2202-02-053-0001	0001.27.02—अनुरक्षण एवं मरम्मत	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	50.00	32.50	17.50	मध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत
कुल				275.00	178.75	96.25	

5. उक्त स्वीकृत राशि संलग्न विवरणी के अनुसार राशि की निकासी विहित प्रक्रिया द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा किया जायेगा। वित्त विभागीय बंधेजों के तहत कुल स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत विमुक्त की जा रही है। तृतीय बंधेज सीमा के तहत शेष राशि 35 प्रतिशत का आवंटन 30 नवम्बर के उपरान्त किया जायेगा।

6. राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा। मितव्ययिता एवं कार्य की गुणवत्ता का ध्यान आवश्यक रूप से रखा जाय।

7. उक्त राशि के व्यय में विभागीय पत्रांक-121 दिनांक-16.09.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। उक्त पत्र की कंडिका-1 में बल्ब, पंखा, ट्यूब लाईट आदि की मरम्मत के अलावे नव-स्थापन भी किया जा सकेगा।

8. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा विभागीय पत्रांक-110 दिनांक-27.09.2024 के आलोक में आवश्यकतानुसार अधिकतम 50,000/- (पचास हजार) रुपये प्रति विद्यालय की दर से किया जायेगा।

9. जिलों द्वारा विद्यालयों को राशि आवंटन में नव उत्क्रमित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही, सर्व प्रथम विद्यालयों के विद्यालय कोष में उपलब्ध राशि से विद्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य किया जायेगा। जिन विद्यालयों के विद्यालय कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है, उन्हीं विद्यालयों को राशि आवंटित की जायेगी। इस हेतु विभागीय पत्रांक-122 दिनांक-18.09.2024 में निहित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उक्त स्वीकृत एवं विमुक्त राशि को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य उच्चाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये पीत पत्र/जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र एवं उच्चस्तरीय निदेश के आधार पर संबंधित जिलों को राशि आवंटित किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला को आवंटित राशि व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता आधारित राशि Withdrawal कर अन्य जिलों को CFMS 2.0 से राशि आवंटित कर दी जायेगी।

11. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा राशि की निकासी नियमानुसार Fully Vouched Bill के आधार पर की जायेगी।

12. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय-समय पर निर्गत वित्त विभागीय अनुदेशों/पत्रों के आलोक में की जायेगी।

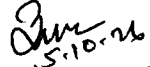
14. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

15. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/ प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं संबंधित उप निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

16. उपरोक्त स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-277107) की पृष्ठ संख्या-114/टि० पर प्राप्त है।

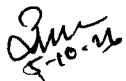
17. उपरोक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप सहित निकासी की स्वीकृति पर माननीय मंत्री का संचिका संख्या-बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-277107) की पृष्ठ संख्या-112/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No-277107).13.9.2024, दिनांक-05/10/2024

प्रतिलिपि :-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विकास आयुक्त, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/विशेष सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/उप निदेशक (प्रशासन)-सह-बजट पदाधिकारी/निदेशक, प्रशासन/बजट शाखा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

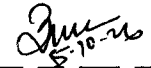
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी (21-2202-01-053-0001), 27.02

क्र० सं०	जिला का नाम	विद्यालयों की संख्या	65% विमुक्त की जा रही राशि	तृतीय बंधेज सीमा (35%) के तहत विमुक्त की जाने वाली राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	Araria	1825	₹ 3,99,50,000	₹ 2,15,10,000	₹ 6,14,60,000
2	Arwal	526	₹ 1,15,20,000	₹ 62,00,000	₹ 1,77,20,000
3	Aurangabad	2066	₹ 4,52,30,000	₹ 2,43,50,000	₹ 6,95,80,000
4	Banka	2005	₹ 4,38,90,000	₹ 2,36,40,000	₹ 6,75,30,000
5	Begusarai	1428	₹ 3,12,60,000	₹ 1,68,30,000	₹ 4,80,90,000
6	Bhagalpur	1736	₹ 3,80,10,000	₹ 2,04,60,000	₹ 5,84,70,000
7	Bhojpur	1925	₹ 4,21,40,000	₹ 2,26,90,000	₹ 6,48,30,000
8	Buxar	1093	₹ 2,39,30,000	₹ 1,28,80,000	₹ 3,68,10,000
9	Darbhangha	2241	₹ 4,90,60,000	₹ 2,64,20,000	₹ 7,54,80,000
10	Gaya	3070	₹ 6,72,10,000	₹ 3,61,90,000	₹ 10,34,00,000
11	Gopalganj	1674	₹ 3,66,50,000	₹ 1,97,30,000	₹ 5,63,80,000
12	Jamui	1659	₹ 3,63,20,000	₹ 1,95,60,000	₹ 5,58,80,000
13	Jehanabad	888	₹ 1,94,40,000	₹ 1,04,70,000	₹ 2,99,10,000
14	Kaimur	1182	₹ 2,58,80,000	₹ 1,39,30,000	₹ 3,98,10,000
15	Katihar	1706	₹ 3,73,50,000	₹ 2,01,10,000	₹ 5,74,60,000
16	Khagaria	1009	₹ 2,20,90,000	₹ 1,18,90,000	₹ 3,39,80,000
17	Kishanganj	1360	₹ 2,97,70,000	₹ 1,60,30,000	₹ 4,58,00,000
18	Lakhisarai	738	₹ 1,61,60,000	₹ 87,00,000	₹ 2,48,60,000
19	Madhepura	1398	₹ 3,06,10,000	₹ 1,64,80,000	₹ 4,70,90,000
20	Madhubani	2845	₹ 6,22,80,000	₹ 3,35,40,000	₹ 9,58,20,000
21	Munger	963	₹ 2,10,80,000	₹ 1,13,50,000	₹ 3,24,30,000
22	Muzaffarpur	2955	₹ 6,46,90,000	₹ 3,48,30,000	₹ 9,95,20,000
23	Nalanda	2164	₹ 4,73,80,000	₹ 2,55,10,000	₹ 7,28,90,000
24	Nawada	1626	₹ 3,56,00,000	₹ 1,91,70,000	₹ 5,47,70,000
25	Pashchim Champaran	2362	₹ 5,17,10,000	₹ 2,78,40,000	₹ 7,95,50,000
26	Patna	2997	₹ 6,56,10,000	₹ 3,53,30,000	₹ 10,09,40,000
27	Purbi Champaran	2968	₹ 6,49,80,000	₹ 3,49,90,000	₹ 9,99,70,000
28	Purnia	2018	₹ 4,41,80,000	₹ 2,37,90,000	₹ 6,79,70,000
29	Rohtas	2012	₹ 4,40,50,000	₹ 2,37,20,000	₹ 6,77,70,000
30	Saharsa	1184	₹ 2,59,20,000	₹ 1,39,60,000	₹ 3,98,80,000
31	Samastipur	2449	₹ 5,36,10,000	₹ 2,88,70,000	₹ 8,24,80,000
32	Saran	2384	₹ 5,21,90,000	₹ 2,81,00,000	₹ 8,02,90,000
33	Sheikhpura	474	₹ 1,03,80,000	₹ 55,90,000	₹ 1,59,70,000
34	Sheohar	375	₹ 82,10,000	₹ 44,20,000	₹ 1,26,30,000
35	Sitamarhi	1933	₹ 4,23,20,000	₹ 2,27,90,000	₹ 6,51,10,000
36	Siwan	2038	₹ 4,46,00,000	₹ 2,40,40,000	₹ 6,86,40,000
37	Supaul	1580	₹ 3,45,90,000	₹ 1,86,30,000	₹ 5,32,20,000
38	Vaishali	1948	₹ 4,26,50,000	₹ 2,29,60,000	₹ 6,56,10,000
कुल योग:-		66804	₹ 1,46,25,00,000	₹ 78,75,00,000	₹ 2,25,00,00,000

Jun 10 24
सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार/अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी (21-2202-02-053-0001), 27.02

क्र० सं०	जिला का नाम	विद्यालयों की संख्या	65% विमुक्त की जा रही राशि	तृतीय बंधेज सीमा (35%) के तहत विमुक्त की जाने वाली राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	Araria	232	₹ 80,20,000	₹ 43,20,000	₹ 1,23,40,000
2	Arwal	73	₹ 25,20,000	₹ 13,60,000	₹ 38,80,000
3	Aurangabad	238	₹ 82,30,000	₹ 44,30,000	₹ 1,26,60,000
4	Banka	203	₹ 70,20,000	₹ 37,80,000	₹ 1,08,00,000
5	Begusarai	263	₹ 90,90,000	₹ 48,90,000	₹ 1,39,80,000
6	Bhagalpur	285	₹ 98,50,000	₹ 53,00,000	₹ 1,51,50,000
7	Bhojpur	263	₹ 90,90,000	₹ 48,90,000	₹ 1,39,80,000
8	Buxar	159	₹ 55,00,000	₹ 29,60,000	₹ 84,60,000
9	Darbhangha	345	₹ 1,19,20,000	₹ 64,20,000	₹ 1,83,40,000
10	Gaya	379	₹ 1,31,00,000	₹ 70,50,000	₹ 2,01,50,000
11	Gopalganj	241	₹ 83,30,000	₹ 44,90,000	₹ 1,28,20,000
12	Jamui	176	₹ 60,80,000	₹ 32,80,000	₹ 93,60,000
13	Jehanabad	100	₹ 34,60,000	₹ 18,60,000	₹ 53,20,000
14	Kaimur	166	₹ 57,40,000	₹ 30,90,000	₹ 88,30,000
15	Katihar	259	₹ 89,50,000	₹ 48,20,000	₹ 1,37,70,000
16	Khagaria	138	₹ 47,70,000	₹ 25,70,000	₹ 73,40,000
17	Kishanganj	142	₹ 49,10,000	₹ 26,40,000	₹ 75,50,000
18	Lakhisarai	100	₹ 34,60,000	₹ 18,60,000	₹ 53,20,000
19	Madhepura	181	₹ 62,60,000	₹ 33,70,000	₹ 96,30,000
20	Madhubani	419	₹ 1,44,80,000	₹ 78,00,000	₹ 2,22,80,000
21	Munger	139	₹ 48,00,000	₹ 25,90,000	₹ 73,90,000
22	Muzaffarpur	415	₹ 1,43,40,000	₹ 77,20,000	₹ 2,20,60,000
23	Nalanda	283	₹ 97,80,000	₹ 52,70,000	₹ 1,50,50,000
24	Nawada	207	₹ 71,50,000	₹ 38,50,000	₹ 1,10,00,000
25	Pashchim Champaran	437	₹ 1,51,00,000	₹ 81,30,000	₹ 2,32,30,000
26	Patna	422	₹ 1,45,90,000	₹ 78,50,000	₹ 2,24,40,000
27	Purbi Champaran	438	₹ 1,51,40,000	₹ 81,50,000	₹ 2,32,90,000
28	Purnia	265	₹ 91,60,000	₹ 49,30,000	₹ 1,40,90,000
29	Rohtas	284	₹ 98,20,000	₹ 52,90,000	₹ 1,51,10,000
30	Saharsa	165	₹ 57,00,000	₹ 30,70,000	₹ 87,70,000
31	Samastipur	402	₹ 1,38,90,000	₹ 74,80,000	₹ 2,13,70,000
32	Saran	356	₹ 1,23,00,000	₹ 66,30,000	₹ 1,89,30,000
33	Sheikhpura	65	₹ 22,50,000	₹ 12,10,000	₹ 34,60,000
34	Sheohar	56	₹ 19,40,000	₹ 10,40,000	₹ 29,80,000
35	Sitamarhi	286	₹ 98,90,000	₹ 53,20,000	₹ 1,52,10,000
36	Siwan	319	₹ 1,10,10,000	₹ 59,50,000	₹ 1,69,60,000
37	Supaul	194	₹ 67,10,000	₹ 36,10,000	₹ 1,03,20,000
38	Vaishali	308	₹ 1,06,50,000	₹ 57,30,000	₹ 1,63,80,000
कुल योग:-		9403	₹ 32,50,00,000	₹ 17,50,00,000	₹ 50,00,00,000


सरकार के उप सचिव

पत्रांक— 04/अ०का० 16-74/2026.....1950....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार पाण्डेय,
निदेशक (प्रशासन)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 29-09-26

विषय:— विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढीकरण, अनुरक्षण एवं जनसुविधाओं के उन्नयन हेतु संचालित विशेष अभियान 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के संबंध में मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक 530 दिनांक 11.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेश संसूचित किया गया है। उक्त अभियान दिनांक 17 सितम्बर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक संचालित होगा। इस अभियान के अन्तर्गत पूर्व से अवस्थित परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं मरम्मत कराया जाना है, जिसके लिए अंतिम तिथि दिनांक 30 नवम्बर, 2026 तक निर्धारित है। साथ ही नई आधारभूत संरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का निर्माण 31 मार्च, 2027 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' अन्तर्गत शिक्षा विभाग के पूर्व से अवस्थित परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं मरम्मत के तहत विद्यालयों भवनों एवं ङर्ग-कक्षों की मरम्मत एवं रंग-रोगन, किचन शेड की मरम्मत एवं रख-रखाव, शौचालयों की मिशन मोड में साफ-सफाई, पेयजल, बिजली एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को क्रियाशील किया जाना है। नई आधारभूत संरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का निर्माण के तहत अतिरिक्त ङर्ग-कक्षों का निर्माण, भवनविहीन विद्यालयों में भवन का निर्माण, आवश्यकतानुसार नए शौचालयों का निर्माण तथा आवश्यकतानुसार चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना है।

विद्यालय परिसंपत्तियों के मरम्मत संबंधित कार्य Composit School Grant एवं आवश्यकतानुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विकास कोष की राशि का उपयोग कर क्रियान्वित किया जाना है तथा नई आधारभूत संरचनाओं/परिसंपत्तियों का निर्माण संबंधित योजना के प्रावधान, ग्रामीण

विकास विभाग (विकसित भारत-जी राम जी योजना) के अभिसरण एवं पंचायती राज विभाग से क्रियान्वित किया जाना है।

उक्त क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के पत्रांक 4087 दिनांक 02.09.2026 एवं पत्रांक 4115 दिनांक 03.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को सरकारी विद्यालयों के अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर विहित प्रपत्र में (सॉफ्ट कॉपी सहित) सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेशित भी किया जा चुका है।

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के पत्रांक 4327 दिनांक 11.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विद्यालयों की आधारभूत संरचना में आवश्यक सुधार एवं विकास हेतु विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:-

1. **विद्यालय स्तर पर तत्काल किए जाने वाले सुधारात्मक कार्य-** इस श्रेणी में ऐसे छोटे एवं आवश्यक कार्य शामिल होंगे, जिन्हें विद्यालय स्तर पर तत्काल कराया जा सकता है, जैसे- आवश्यक लघु मरम्मत कार्य, रंग-रोगन, दरवाजे/खिड़कियाँ, पेयजल, रनिंग वाटर के साथ शौचालय आदि के रख-रखाव एवं अन्य सुधारात्मक कार्य इत्यादि। इन कार्यों पर होने वाला व्यय विद्यालय को उपलब्ध Composit School Grant मद से किया जाएगा। इन कार्यों को 30 नवम्बर, 2026 तक पूरा कर लिया जाय।
2. **वृहद् असैनिक निर्माण कार्य-** इस श्रेणी में विद्यालयों में आवश्यक वृहद् असैनिक निर्माण/मरम्मत कार्य शामिल होंगे। ऐसे कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन की व्यवस्था संबंधित ग्रामीण विकास विभाग (विकसित भारत-जी राम जी योजना) एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं तथा उपलब्ध अन्य उपयुक्त योजनागत स्रोतों से किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इन कार्यों को 31 मार्च, 2027 तक पूरा कर लिया जाय।
3. **जर्जर भवनों का निस्तारण/हटाया जाना-** इस श्रेणी में वैसे विद्यालय भवन/भवन के भाग शामिल होंगे जिन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा जर्जर घोषित किया जा चुका है तथा जिनका उपयोग विद्यालय/छात्रों की सुरक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों की दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसे जर्जर भवनों को नियमानुसार हटाने/ध्वस्त करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभाग द्वारा MSTC के साथ MoU की कार्रवाई की जा रही है।

उक्त तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले कार्यों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश उक्त पत्रांक 4327 दिनांक 11.09.2026 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही इस कार्य की नियमित समीक्षा जिला स्तर पर करने तथा शिक्षा विभाग के संबंधित पदाधिकारियों

के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए आधारभूत संरचना में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करने हेतु भी सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

दिनांक 23.09.2026 को सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में v.c. के माध्यम से सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक में आप सभी को निदेशित किया गया है कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' अन्तर्गत कार्यों की सूची तैयार की जाय। सभी जिलों में पहले कार्यों को चिन्हित किया जाय यथा—ब्लैक बोर्ड की स्थिति, बेंच—डेस्क की स्थिति, रंग—रोगन की स्थिति, पंखा, बल्ब, वायरिंग, रनिंग वाटर के साथ—साथ शौचालय, यूरीनल, जल निकासी, साईकल स्टैंड, चहारदीवारी निर्माण, मिट्टी भराई एवं मैदान समतलीकरण इत्यादि। साथ ही नये कार्य यथा— चहारदीवारी निर्माण, अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण, किचेन शेड का निर्माण एवं मैदान समतलीकरण इत्यादि ग्रामीण विकास विभाग (विकसित भारत—जी राम जी योजना) एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा सकता है। विभागीय समीक्षात्मक बैठकों में उक्त कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराने का भी निदेश दिया गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जिलों के उप विकास आयुक्त से समन्वय स्थापित कर संबंधित पोर्टल पर उक्त योजनाओं की प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करेंगे।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि विद्यालय में 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' अन्तर्गत कार्यों की सूची अविलम्ब तैयार कर निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही घोषित जर्जर भवनों एवं अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण हेतु सूची निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया जाय एवं विद्यालय भूमि परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भूमे राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित किया जाय।

अनुलग्नक:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(विजय कुमार पण्डेय)

निदेशक (प्रशासन)

पटना, दिनांक :- 29-09-26

ज्ञापांक :- 04/अ०का० 16-74/2026.....1950

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक, निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के आशुलिपिक को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक :- 04/अ०का० 16-74/2026.....1950.....

पटना, दिनांक :- 29-09-26

प्रतिलिपि :- राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशिक्षण)